

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

50 MAY 2018

--:अधिसूचना:--

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 16 की उपधारा(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(20)न्याय/83 दिनांक 10.10.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, लक्ष्मणगढ जिला अलवर के शिविर गोविन्दगढ की अवधि प्रत्येक माह में एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस से बढ़ाकर प्रत्येक माह में दो एकान्तर सप्ताह निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,


  
30.5.18

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, अलवर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
30.5.18

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव